

क्रमांक:- प.100 / जी-1 / कोरोना / ईएसआई / समय / 20 /

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

विभाग के समकक्ष आदेश क्रमांक प/जी-1/औ.स./ईएसआई/2020/694 दिनांक 03.04.2020 के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में इस योजना के अधीन संचालित समस्त चिकित्सालयों एवं औषधालयों में ओपीडी एक पारी में प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक आगामी आदेशों तक संचालित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे, कि निरन्तरता में इस योजना के अधीन संचालित समस्त चिकित्सालयों एवं औषधालयों में ओपीडी एक पारी में प्रातः 09:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक आगामी आदेशों तक संचालित किये जावेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरान्त जारी किये गये है।

(⁵⁰डॉ. वी.के. माथुर)
निदेशक एवं पदेन उपसचिव

क्रमांक:- प.100 / जी-1 / कोरोना / ईएसआई / समय / 20 / 1021

दिनांक:- 14.10.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं ई.एस.आई विभाग राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय राज्य मंत्री महोदय श्रम एवं नियोजन विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव श्रीमान शासन सचिव, कौशल, रोजगार एवं नियोजन, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण, ई.एस.आई. विभाग राज0 जयपुर।
4. निजी सहायक, श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग राज0 जयपुर।
5. समस्त अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, भीलवाडा/जोधपुर/कोटा एवं पाली राजस्थान।
6. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय राजस्थान।
7. आई.टी. शाखा प्रभारी को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु इस निदेशालय।
8. समस्त शाखा प्रभारी इस निदेशालय।
9. आदेश पत्रावली।

(⁵⁰डॉ. वी.के. माथुर)
निदेशक एवं पदेन उपसचिव